

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)।

पत्रांक 4629 / उ०त०-कोरोगेटेड बा० पंजी० / 2022-23,

दिनांक 17 / मार्च, 2023

EOI निरस्त्रीकरण सूचना

निदेशालय के पत्रांक-4298/कोरोगेटेड बाक्स पंजीकरण/2022-23, दिनांक-24.02.2023 के द्वारा उत्तर फसल योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में कृषकों को आड़ू, प्लम, खुमानी, नाशपाती, आम, लीची आदि फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बाक्स व सेब फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बाक्स मय एप्पल ट्रे की आपूर्ति हेतु अभिरूची की अभिव्यक्ति EOI के माध्यम से फर्मो/कम्पनियों/व्यवसाइयों के पंजीकरण व मोलभाव दिनांक-15.03.2023 अपरान्ह 05:00 बजे आवेदन निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया में मांगे गये थे। जिन्हें दिनांक-16.03.2023 को निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया में गठित समिति द्वारा खोला जाना था। जिसमें दो फर्मो/कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। परन्तु मोलभाव (निगोसियेशन) हेतु एक ही फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित होने एवं मोलभाव (निगोसियेशन) न होने के कारण उक्त अभिरूची की अभिव्यक्ति EOI को निरस्त किया जाता है।


निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तराखण्ड।